कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ ( ) कार्मिक/विविध/प्रमुवसं/2015 5670-5790 दिनांक 17/6/15

निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षक

विषयः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक दिनांक 25 जून 2015 के संबंध में।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री) राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 1 ( )/ तक/परिसू/अप्रमुवसं/1160 दिनांक 15.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 25 जून 2015 को अरण्य भवन स्थित सभाकक्ष में प्रातः 11.00 बजे आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्थापना अनुभाग से संबंधित एजेण्डा (संलग्न) की सूचना साथ लेकर उपस्थित होवे।

संलग्न :– उक्तानुसार

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

एजेंडा

01. राजस्थान विर्निदिश क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 के संबंध में

(ऐ) राजस्थान विर्निदिश क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 की पालना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 5333–47 दिनांक 04.06.2015 (संलग्न)द्वारा चाही गई सूचना।

(बी) मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से अर्द्धशासकीय पत्रांक 4838 दिनांक 25.05.2015 के संबंध में 2015 (संलग्न)द्वारा चाही गई सूचना।

02. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में** – इस कार्यालय के पत्रांक 4989–5110 दिनांक 27.05.2014 एवं स्मरण पत्र संख्या 4295–337 दिनांक 07.05.2015 (संलग्न)द्वारा चाही गई सूचना।

03. **लेखामदवार स्वीकृत पदों/कार्यरत/रिक्त पदों की मासिक सूचना भिजवाने बाबत (माह मई, 2015)** – इस कार्यालय के पत्रांक 12697–735 दिनांक 25.11.2014 केक्रम में निर्धारित प्रपत्र में (संलग्न)द्वारा चाही गई सूचना।

04. **राजस्थान विधानसभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2014–15 का बिन्दुवार उत्तर भिजवाने के संबंध में** – इस कार्यालय के पत्रांक 4360–85 दिनांक 11.05.2015 (संलग्न)द्वारा चाही गई सूचना।

05. **जनजाति समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक की सूचना बाबत** – इस कार्यालय के पत्रांक 3046–70 दिनांक 07.04.2015 (संलग्न)द्वारा चाही गई सूचना।

पत्र सं 44

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/5333-47 दिनांक 4-6-2015

निमित्त, Agenda 1(a)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।

मुख्य वन सरंक्षक (वन्य जीव) जोधपुर/(वन्य जीव) कोटा/(वन्य जीव) भरतपुर/ /(वन्य जीव) उदयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा।

मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना जयपुर ।

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर।

विषयः राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 की पालना के संबंध में।

संदर्भ : आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ 1 (बी) (3) (57) सीटीएडी/2014/11146–215 दिनांक 04.05.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 4999–5012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (1)/डीओपी/ए–II/2014 दिनांक 28.01.2014 द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 जारी किये गये है। इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा परिपत्र दिनांक 17.07.2014 एवं दिनांक 10.11.2014 जारी किये गये है (प्रति संलग्न)।

उक्त नियमों की पालना हेतु शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प. 2 (1) कार्मिक/क–2/2014 पार्ट दिनांक 28.04.2015 जारी कर अभी भी विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से विकल्प लेने की कार्यवाही 31 मई 2015 तक करने, अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प देने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण 30 जून 2015 तक हर हाल में कर तत्संबंधी प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवाने के निर्देश जारी किये हैं। यह भी निर्देशित किया है कि अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्संबंधी रिक्त पद स्थानान्तरण/नई नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके है तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

अतः कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2015 की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया परिपत्र की पालना करते हुए अपने क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों के विकल्प 3 दिन में प्राप्त कर विशेष पत्र वाहक के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक 03.06.2015 तक भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था। अतः उक्त सूचना तत्काल पत्रवाहक के साथ भिजवाने की व्यवस्था करावे।

भवदीय,

Shim

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान जयपुर

D Folder Mahaveer Singh 01 Jan 2014 Folder Kalyan Jee File 01 Jan 2014

(81)

आर.के. ग्रोवर, **भा.व.से.,**
अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरण्य भवन, झालाना डूंगरी जयपुर

Anycud 1(b)

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक–भर्ती/4838
प्रमुवसं/ जयपुर दिनांक 25 मई 2015

विषयः राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 की पालना के संबंध में।

संदर्भ : आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ 1 (बी) (3) (57) सीटीएडी/2014/11146–215 दिनांक 04.05.2015 (P77/c)

प्रिय श्री Venkatesh ji

आपका ध्यान संदर्भित पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिससे विदित है कि कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 2 (1)/डीओपी/ए–II/2014 दिनांक 28.01.2014 द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 जारी किये गये है। इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा परिपत्र दिनांक 17.07.2014 (P-2C) एवं दिनांक 10.11.2014 (P-33/2) जारी किये गये है।

उक्त नियमों की पालना हेतु शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प. 2 (1) कार्मिक/क–2/2014 पार्ट दिनांक 28.04.2015 जारी कर अभी भी विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से विकल्प लेने की कार्यवाही 31 मई 2015 तक करने, अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प देने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण 30 जून 2015 तक हर हाल में कर तत्संबंधी प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवाने के निर्देश जारी किये हैं। यह भी निर्देशित किया है कि अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्संबंधी रिक्त पद स्थानान्तरण/नई नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके है तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

अतः कार्मिक (क–2) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.04.2015 की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया परिपत्र की पालना समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावे। P-81/c

संलग्न :– उक्तानुसार

With Best Wishes.

(आर. के. ग्रोवर)

श्री वेंकटेश शर्मा,
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

(2) स्मरणपत्र – सात

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

Agenda No 2

क्रमांक एफ 15 (1) 2011 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवसं / 4295-337 दिनांक 7/5/15

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयेजना एवं वन बदोबस्त, राजस्थान जयपुर,
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण एवं अनु. जयपुर,
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / भरतपुर / वन वर्धन जयपुर / वन संरक्षक एवं क्षैत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर / सरिस्का (मुख्यालय) अलवर।
उप वन संरक्षक
उदयपुर(उत्तर) / डूंगरपुर / बासंवाडा / जयपुर / अलवर / कोटा / बांरा / बूंदी / झालावाड / करौली / भरतपुर / सवाईमाधोपुर / इं.गा.न.परि. स्टेज द्वितीय बीकानेर / छतरगढ / श्री गंगानगर / जालोर / जैसलमेर / बाड़मेर / जोधपुर / स्टेज–II जैसलमेर / वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर / वन्यजीव जयपुर / बाघ परियोजना सरिस्का / मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा / वन्य जीव राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर / वन्य जीव जैसलमेर / वन्य जीव माउंट आबू (सिरोही) / वि.का.म. बीकानेर / वि.का.म. उदयपुर / वि.का.म. स्टेज–II बीकानेर / भू–संरक्षण अधिकारी सोजत / भू–संरक्षण अधिकारी सवाई माधोपुर।

विषयः– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा चाही गयी सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र सम क्रमांक 4989–5110 दिनांक 27.05.2014, 7001–72 दिनांक 17.7.2014, 11086–101 दिनांक 30.9.2014, 12736–70 दिनांक 25.11.2014, 41–100 दिनांक 01.01.2015 एवं 1600–46 दिनांक 16.2.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5), विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 9 (4) कार्मिक / क–5 / 2014 दिनांक 29.01.2014 मय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 39 / 2 / 2013 आर.ई.एम. दिनांक 14.10.2013 द्वारा बिन्दु संख्या 2, 4 एवं 5 से संबंधित सूचना भिजवाने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा लिखा गया था, किन्तु आपके कार्यालय की वांछित सूचना अभी तक भी प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाने में विलम्ब हो रहा है। इस सम्बन्ध में शासन उप सचिव कार्मिक (क–5) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 7.4.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा वांछित सूचना अविलम्ब भिजवाने हेतु लिखा है।

अतः आपके कार्यालय की अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों की वांछित बिन्दुवार सूचना 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय में **फैक्स (0141–2700037)** द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भिजवाने का कष्ट करें, ताकि विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाना संभव हो सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– उक्तानुसार

भवदीय,

Shikha

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

D/Karmic st-/ Ram Folder/C.Lal G 28-4-2015

(4) अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2011 कार्मिक–स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/ 12697–735 दिनांक 25-11-2014

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यआयोजना एवं वन बन्दोबस्त,
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई.,
राजस्थान, जयपुर।
परियोजना निदेशक,
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता,
परियोजना–2 राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. जयपुर
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर
समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।,

विषय लेखा मदवार स्वीकृत पदों/कार्यरत/रिक्त पदों की मासिक सूचना भिजवाने बाबत्।

संदर्भ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3327–57 दिनांक 14.03.2011, 3997–4020 दिनांक 20.03.2013 ,9326 दिनांक 10.07.2013, 12627–40 दिनांक 27.8.2013 एवं 823–34 दिनांक 22.01.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा रिक्त पदों की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था, किन्तु अधिकाशं कार्यालयों की मासिक सूचना काफी विलम्ब से भिजवायी जाती है। मुख्यालय पर रिक्त पदों की सूचना संकलित की जाकर समय–समय पर राज्य सरकार को भिजवाई जाती है एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के संबंध में कार्यवाही संपादित की जाती है तथा समय–समय पर लेखामदवार स्वीकृत पदों, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मुख्यालय पर संकलित की जाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी है। अतः इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के क्रम में आपके संभागाधीन वन मण्डलों की सूचना संकलित की जाकर **दिनांक 01.11.2014 की स्थिति** अनुसार रिक्त पदों की सूचना निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखते हुए **फैक्स द्वारा दो दिवस** के भीतर इस कार्यालय में एवं एक्सल में सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करने का कष्ट करें।

1.मुख्य वन संरक्षक स्तर से संभाग की संकलित सूचना ही प्रेषित की जावे।

2.सूचना में अधिकारी/कर्मचारियों का मूल संवर्ग ही अंकित किया जावे। उदाहरणार्थ उप वनसंरक्षक के विरुद्ध यदि सहायक वन संरक्षक को लगाया गया हो तो उसे सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध ही दर्शाया जावे तथा विशेष विवरण के कॉलम में उप वन संरक्षक के विरुद्ध कार्यरत दर्शाया जावे। इसी तरह अन्य सारे पदों के विरुद्ध कार्यरत लोकसेवकों को उनके मूल संवर्ग में ही दर्शाया जाकर विशेष विवरण में टिप्पणी अंकित की जावे।

3.रिक्त पदों की संकलित सूचना इस कार्यालय में प्रत्येक माह की **05 तारीख तक संलग्न प्रपत्र में फैक्स द्वारा इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। पत्र को व्यक्तिगत स्तर पर लें व सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

संलग्न :– प्रपत्र 1

भवदीय,
(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

D Folder Mahaveer oct. 2014 Folder karmis st file 11 oct. 2014

मई-2015

प्रपत्र

लेखा मदवार स्वीकृत पदों/रिक्त पदों की सूचना माह ....

क्र. सं.	लेखा मद का नाम	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या		रिक्त पद होने की दिनांक/(सेवानिवृति/पदोन्नति/मृत्यु/अन्य कारण)	स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियो का नाम	पद जिसके विपरीत वेतन भुगतान किया जा रहा है	स्वीकृत पद से अधिक कार्यरत होने का कारण	विशेष विवरण
					सीधी भर्ती	पदोन्नति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोटः– निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावे :–

1.मुख्य वन संरक्षक स्तर से संभाग की संकलित सूचना ही प्रेषित की जावे।

2.सूचना में अधिकारी/कर्मचारियों का मूल संवर्ग ही अंकित किया जावे। उदाहरणार्थ उप वन संरक्षक के विरुद्ध यदि सहायक वन संरक्षक को लगाया गया हों तो उसे सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध ही दर्शाया जावे तथा विशेष विवरण के कॉलम में उप वन संरक्षक के विरुद्ध कार्यरत दर्शाया जावे। इसी तरह अन्य सारे पदों के विरुद्ध कार्यरत लोकसेवकों को उनके मूल संवर्ग में ही दर्शाया जाकर विशेष विवरण में टिप्पणी अंकित की जावे।

3.रिक्त पदों की संकलित सूचना इस कार्यालय में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक संलग्न प्रपत्र में **फैक्स** द्वारा प्रेषित की जावें।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/
मुख्य वन संरक्षक

Agenda NO-4 (5)

विधानसभा आवश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15( )2015/कार्मिक–स्ट्रेस्थ/प्रमुवसं/4360-85 दिनांकः 11/5/15

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त,
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,राजस्थान जयपुर।
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण अनुंसधान जयपुर/परियोजना निदेशक (आंर. एफ. वी.पी) फैज–II जयपुर।
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव जयपुर /वन्यजीव कोटा।
मुख्य वन संरक्षक बनास नदी परि. जयपुर/आर.वी.पी.कोटा/मुख्यालय राजस्थान जयपुर/वन वर्धन जयपुर/विभागीय कार्य जयपुर।
प्रभारी कार्मिक राजपत्रित अनुभाग/कार्मिक अराजपत्रित अनुभाग/गोपनीय अनुभाग कार्यालय हाजा।

विषयः– राजस्थान विधानसभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2014–15 का बिन्दूवार का प्रत्युतर भिजवानें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप सचिव, राजस्थान विधान सभा के अशा.पत्रांक एफ.11(145)पिकस/विस/2015/19641 दिनांक 27.4.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा राजस्थान विधानसभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति 2014–15 ने पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की राजकीय सेवा मे नियुक्तियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रश्नावली की बिन्दूवार सूचना चाही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय हैं कि समिति संलग्न प्रश्नावली के आधार पर विभाग का साक्ष्य भी लेगी।

अतः आपके कार्यालय एवं संभागाधीन कार्यालयों की सूचना संकलित की जाकर प्रश्नावली का बिन्दूवार उत्तर दो दिवस में **फैक्स (0141–2700037) द्वारा** इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करे, ताकि की विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें। कृपया इसे प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(वीरेन्द्र सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(प्रशासन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

D/ karmic –st/Ram folder/Chirengi lal date-6-5-2015

(19)

157656/F/15
27-4-15

अत्यावश्यक/आज जारी हो

राणाराम विश्नोई
उप सचिव (विधान)
राजस्थान विधान सभा

सत्यमेव जयते

कार्यालय वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 157656
दिनांक 29-04-15

अ.शा. पत्रांक:एफ.11(145)पिकस/विस/2015/ 19641

जयपुर, दिनांक 27 अप्रेल, 2015

प्रिय श्री सी.एस. रत्नास्वामी जी,

निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान विधान सभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2014-2015 ने आपके विभाग से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की राजकीय सेवा में नियुक्तियों के संबंध में सूचना मंगवाने का निर्णय लिया है ।

समिति संलग्न प्रश्नावली के आधार पर आपका साक्ष्य भी लेना चाहेगी, जिसकी आपको यथा समय सूचना दे दी जाएगी ।

अतः कृपया संलग्न प्रश्नावली के उत्तर एवं नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन की 20-20 प्रतियां (हिन्दी में) पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें, ताकि साक्ष्य से पूर्व समिति उनका अध्ययन कर सके ।

सादर!

सद्भावी,

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

24.4.15
(राणाराम विश्नोई)

श्री सी.एस. रत्नास्वामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

राजस्थान विधानसभा सचिवालय

पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2014-15

प्रश्नावली

1. आपके विभाग में कितने पद किस किस संवर्ग के सृजित हैं और उसमें कितने पद पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित हैं ? पद वार सृजित तथा आरक्षित पदों की गत 5 वर्षों की स्थिति प्रस्तुत करे । रिक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? जानकारी दें ।
2. क्या आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य सरकार के आदेशानुसार रोस्टर पंजिका का संधारण किया जा रहा है ? यदि हॉं, तो कब से, आदेश की प्रति संलग्न करें ।
3. क्या रोस्टर पंजिका में सक्षम नियुक्ति अधिकारी के हस्ताक्षर कराये जाते हैं ? यदि नहीं, तो किस-किस नियुक्ति वर्ष में इसकी पालना नहीं की गई तथा पालना नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?
4. क्या विभाग द्वारा संधारित रोस्टर पंजिका का निरीक्षण कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार किया गया है ? यदि हॉं, तो किस-किस वर्ष में ? यदि नहीं, तो क्यों ?
5. क्या मैरिट में आने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में गणना आरक्षित कोटे में की जाती है ? यदि हॉं, तो ऐसा किन नियमों/आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है ? आदेशों की प्रति प्रस्तुत करें ।

6 Agenda No-8

स्मरण पत्र–5

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 ( ) 2013/कार्मिक–स्ट्रेस्थ/प्रमुवसं/3046-70 दिनांकः 7-4-2015

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण एवं अनु. राजस्थान जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/विभागीय कार्य जयपुर।
वन संरक्षक एवं क्षैत्र निदेशक बाघ परि. सवाईमाधोपुर/वन संरक्षक एवं क्षैत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)।
उप वन संरक्षक/डूंगरपुर/बांसवाडा/जयपुर (उत्तर)/बांरा/बून्दी/झालावाड/इ.गा.न.प. स्टेज–II बीकानेर/जैसलमेर/नागौर/श्री गंगानगर।
उप वन संरक्षक व.जी. चिडियाघर, जयपुर/बाघ परि. सरिस्का/वन्यजीव जैसलमेर/विभागीय कार्य मण्डल बीकानेर/उवसं वन्यजीव माउन्ट आबू (सिरोही)/वि.का.म. स्टेज–II बीकानेर/कार्य आयो. अधि कोटा/वन बन्दोबस्त जयपुर।

विषयः– जनजाति समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक सूचना भिजवाने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 4530–4640 दिनांक 19.05.2014, 7073–7118 दिनांक 17.7.2014, 11050–85 दिनांक 30.09.2014 एवं 13047–78 दिनांक 28.11.2014, 103–36 दिनांक 02.01.2015 एवं 1882–1909 दिनांक 23.02. 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 9(13) कार्मिक/क–5/2014 दिनांक 30.04.2014 द्वारा जनजाति समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक की सूचना संलग्न प्रपत्र में भिजवाने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा लिखा गया था किन्तु आपके कार्यालय की वांछित सूचना अभी तक भी प्राप्त नही होने से विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाने में विलम्ब हो रहा है।

अतः राज्य सरकार द्वारा चाही गयी निम्नांकित सूचना तीन दिवस में **फैक्स** द्वारा निम्न प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि विभाग की संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जाना संभव हो सके।

प्रारुप

राजकीय सेवाओं में नियोजन संबंधी सूचना

क्र. सं.	वर्ग	क्लास -I	क्लास –II	क्लास –III	क्लास –IV
1	अनुसूचित जनजाति (ST)				
2	अनुसूचित जाति (SC)				

भवदीय,

ह0

(वीरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

D/Karmik-St-2015/Devendra-24/03/2015